iJRASET
International Journal For Research in Applied Science and Engineering Technology



INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH

IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY

Volume: 13 **Issue:** III **Month of publication:** March 2025

DOI: https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.67991

www.ijraset.com

Call: 08813907089 | E-mail ID: ijraset@gmail.com

International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)
ISSN: 2321-9653; IC Value: 45.98; SJ Impact Factor: 7.538
Volume 13 Issue III Mar 2025- Available at www.ijraset.com

जनजातियों के विस्थापन के प्रभाव एवं निवारण

डॉ. राहुलभारती
सहायकप्राध्यापक शासकीयमहाविद्यालयजुन्नारदेव

सारांश: प्राचीन समय से ही जनजातीय समुदाय अपने दूर-दराज के निवास पर रहता आ रहा है। जनजातियों के लिए उनका निवास ही मुख्य संस्कृति का हिस्सा हैं।लेकिन कुछ दशकों से जनजातियों के से भेदभाव किया जाता रहा है स्वतंत्रता के समय से ही भारत में उनके क्षेत्र में जबरन घुसपैठ या अतिक्रमण कर उनके क्षेत्र से उन्हें हटादिया गया। इससे उनके अस्तित्व में ही संकट उत्पन्न हो गया है।

शब्दकुँजी: जनजातीय, समुदाय, संस्कृति, अतिक्रमण, अस्तित्व

I. परिचय

भारत में अनुसूचित जाति या जनजाति के विस्थापन के कारण अत्यधिक गंभीर संकट उनके सामने आ गया है जनजातियों के विस्थापन से उनकी संस्कृति बोली एवं उनके पहचान का संकट खड़ा है। भारत में जनजाति का अर्थ यह है कि समूह या समुदाय जो की एक विशेष क्षेत्र में निवास करता है जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति बोली पहनावा खान-पान रहन-सहन होता है ऐसे जनजाति समूह को जनजाति कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.04 करोड़ लगभग है जो इनका 8.6% है। भारत में अनुच्छेद 342 के तहत कुल 730 जनजाति भारतीय संविधान में अनुसूचित्य है मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 1.53 करोड़ लगभग हैं। जो जनसंख्या का 21.1प्रतिशत है। भील जनजाति भारिया जनजाति सहरिया जनजाति कोरकु जनजाति गोंड जाति को जनजाति आदि प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं।

Population of Scheduled Tribes
India : 1961-2011

Census Year	Population			Decadal Growth Rate		
	Total	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
1961	3,01,30,184	2,93,57,790	7,72,394			
1971	3,80,15,162	3,67,20,681	12,94,481	26.2	25.1	67.6
1981	5,16,28,638	4,84,27,604	32,01,034	35.8	31.9	147.3
1991	6,77,58,380	6,27,51,026	50,07,354	31.2	29.6	56.4
2001	8,43,26,978	7,73,39,335	69,87,643	24.5	23.2	39.5
2011	10,42,81,034	9,38,19,162	1,04,61,872	23.7	21.3	49.7

II. भारत में पाँचवीअनुसूची एवं अनुसूचित क्षेत्र

भारत के संविधान केपाँचवीअनुसूचीके अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट सौंपनी होती है। यह रिपोर्ट राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है और संघ की कार्यकारी शक्ति को इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए निर्देश देने तक विस्तारित करती है।

वर्तमान में, 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं - आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान। इन राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट सौंपनी होती है।अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक सुरक्षा उपायों, अधिनियमों और नियमों का क्रियान्वयन - (1) पैसे उधार को विनियमित करने के लिए, (2) भूमि विस्थापन को रोकने के लिए, (3) वन और व्यापार में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, (4) बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए, (5) पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार विशेष उत्सव नीति के लिए आदि।

©IJRASET: All Rights are Reserved

III. जनजातियों के प्रमुख विस्थापन

1 सरदार सरोवर परियोजना परियोजना के तहत मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र एवं राजस्थान इन राज्यों के संयुक्त रूप से यह परियोजना लाई गई थी। परियोजना के तहत कुल 244 गांव प्रभावित हुए। इसमें सबसे ज्यादा 30000 परिवार मध्य प्रदेश से प्रभावित हुए। इससे परियोजना के तहत कहीं जनजाति परिवारों को अपनी जमीन कृषि भूमि आदि से विस्थापन होना पड़ा विस्थापन के पश्चात उन्हें अन्य कहीं स्थान पर बसाया गया जिससे कहीं जनजाति हैं परिवारों की संस्कृति, बोली, पहनावा, देवस्थान उनके मूल स्थान से परिवर्तित हुआ जो की भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरा है।

2 कर्नाटक के कुर्ग जिले में बंदीपुर और नागरहोल में राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माता होने से कहीं जनजाति परिवारों को उनके मूल स्थान से विस्थापित कर दिया गया। इससे विस्थापन सही लगभग 1550 परिवार प्रभावित हुए।

3 मध्यप्रदेश के सागर जिले में कानड़-सतगड़ परियोजना आने से उन्हें उन जनजाति परिवारों को विस्थापन होना पड़ा विस्थापन ऐसी जगह पर हुआ था। जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि कहीं जनजाति परिवार जंगलों में निर्भर थे किंतु अन्य जगह विस्थापन होने से उनके लिए कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया, जिसमें वन अधिकारियों को 54 बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में स्थित 591 गांवों से 64,801 परिवारों के पुनर्वास में तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के अचानकमार और उदंती-सीतानदी सहित कई बाघ अभयारण्यों में आदिवासी समुदायों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का दावा करते रहे हैं। इसके खिलाफ प्रदर्शन किया।

5. मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि इसका अधिकांश भाग होशंगाबाद जिले में आता है एवं कुछ भाग छिंदवाड़ा जिले में आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़ने से कहीं जनजाति गांव को उनके मूल स्थान से विस्थापित कर दिया गया जिससे कि कहीं जनजाति है परिवार जल जंगल जमीन से अलंकार गांव में निवास कर रहे हैं।

6. 1973 में, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया. जानवरों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वनवासियों को और ज्यादा विस्थापित किया गया। इसमेंइसमें मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा जनजाति को उनके निवास स्थान से विस्थापित किया गया था।बैगा जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति है जो अत्यधिक सामाजिक आर्थिक भौगोलिक रूप से कई समूहों से अधिक पिछड़ापन है बैगा जनजाति को उनके मूल स्थान से विस्थापित किया गया जिससे कही न कही उनके पहचान कर संकट एवं बोली संस्कृति देवस्थान इससे विस्थापन से प्रभावित हुए है।

IV. विस्थापन के प्रभाव

जनजातियों में उनके पहचान का संकट

प्रमुखहै।जनजातियों को उनके भौगोलिक आधार पर ही भारतीय संविधान में उनको आरक्षण प्रदान किया गया है अगर हम या किसी अन्य माध्यम से उन्हेंविस्थापित किया जाता है तो उनकी पहचान कर संकट खड़ा हो जायेगा जिससे जनजातियों की पहचान ही खत्म हो जाएगी जैसे मध्यप्रदेश की बैगा जनजाति मैं टाइगर प्रोजेक्ट के तहत उन्हें उनके स्थान से हटाया गया।

संस्कृति का हास्

जनजातियों की पहचान उनके प्रमुख संस्कृति है विस्थापन में हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित करते हैं जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी संस्कृति उनकी जिंदगी का प्रमुख हिस्सा है एवं वे उसे हर वे दूर होते जा रहे हैं। संस्कृति जनजातियों की पहचान है।

देवस्थान का हटना

जनजातियों का विश्वास विभिन्न प्राकृतिक पूजकहोता है जैसे ही जल जंगल जमीन पेड़ पत्थर पशुप्रकृति पूजक होते हैं एवं हर जनजाति का उनकी गांवयह उनके घर पर देव की स्थापना की जाती है ये हमें प्रमुख रूप से गांव में देखने को मिलता है जैसे गोंड जनजाति में देखा जाता है विस्थापन से उनके देवस्थानों को भी झूट जाने का डर बना रहता है क्योंकि देवस्थान हर जाति समूह जनजाति उत्पत्ति होती है।

आदिवासी ज्ञान परम्परा को नुकसान

जनजातियों में विस्थापन एक खतरनाक इस तरह पर किया गया है। इससे उनके प्राचीन ज्ञान परंपरा कोप अत्यधिक नुकसान पहुंचा है क्योंकि कोई भी जनजाति अपने निवास स्थान पर रेड्डी है तो उन्हें वहाँ के क्षेत्र का प्राचीन ज्ञान उन्हें रहता है विस्थापन से उन्हें ये ज्ञान परंपरा उनसे छूट जाएगी।

अतिक्रमण

जनजातियों मैं विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या हैप्राय जनजातियों के निवास स्थान में खनिजएवं जड़ी बूटियों विशेषप्रजातियां रहती है किंतु जनजातियों को किसी भी तरह वहाँ से विस्थापन कर यहा अतिक्रमण कर उनके स्थान को अतिक्रमण कर लिया जाता है।

©IJRASET: All Rights are Reserved | SJ Impact Factor 7.538 | ISRA Journal Impact Factor 7.894 |

V. निराकरण

जनजाति ग्राम सभा का गठन

73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन किया गया था किंतु इससत्रिस्तरीय व्यवस्था में जनजातियों के अधिकारोंको अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था पूरे भारत में एक समान तरह से लागू है जिसग्राम में जनजातियों का अधिक जनसंख्या है वहाँ जनजाति ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए और उनके अधिकार अन्य ग्राम पंचायतों से अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए।जिससे बाहरी दखल को कम किया जा सके।

अनुसूचितक्षेत्रों को अधिक अधिकार एवं विस्तार

अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक अधिकार एवं उसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी करना चाहिए। क्षेत्रों में अधिनियम व नियम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए एवंकार्यपालिका को इसके लिए उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है।अनुसूचित क्षेत्रों मैं नए क्षेत्रों को भीअनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जन जाति जनसंख्या इसके क्षेत्र में आ सके।

पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन

अनुसूचित जनजाति के स्थानीय स्वयं के शासन को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। पेसा अधिनियम में जनजातियों के अधिक सशक्त नियमों को लाना आवश्यक हैं। किसी भी शासकीय एवं अशासकीय कार्य को लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना आवश्यक करना चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्यचार निवारण कानून को मजबूती

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून को मजबूती से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।जब भी किसी केस को पंजीयन किया जाता हैं तो तुरंत गिरफ्तारी एवं उसे फ़ास्ट कोर्ट अदालतें निर्णय लेकर पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहिये। प्रायः यह देखा गया है कि प्रकरण में अनावश्यक देरीदेखी गई है।

जनजातियों के वन अधिकारअधिनियम

जनजातियों में वनाधिकार को अधिक प्रभावी रूप सी लागू करना चाहिए। क्योंकि जनजाति जन्म से ही वनों पर उनकी निर्भरता है। एवं पीढ़ी दर पीढ़ी वही वे उसी जमीन पर रह रहे हैं इससे उनका जन्मसही नाता है। अगर उन्हें इससे से बेदखल किया जाता है तो उनकी निर्भरता कम हो जाएगी ओर जनजाति अपना घर खो देंगे इसलिए वन अधिकार अधिनियम प्रभावी बनाया जाए

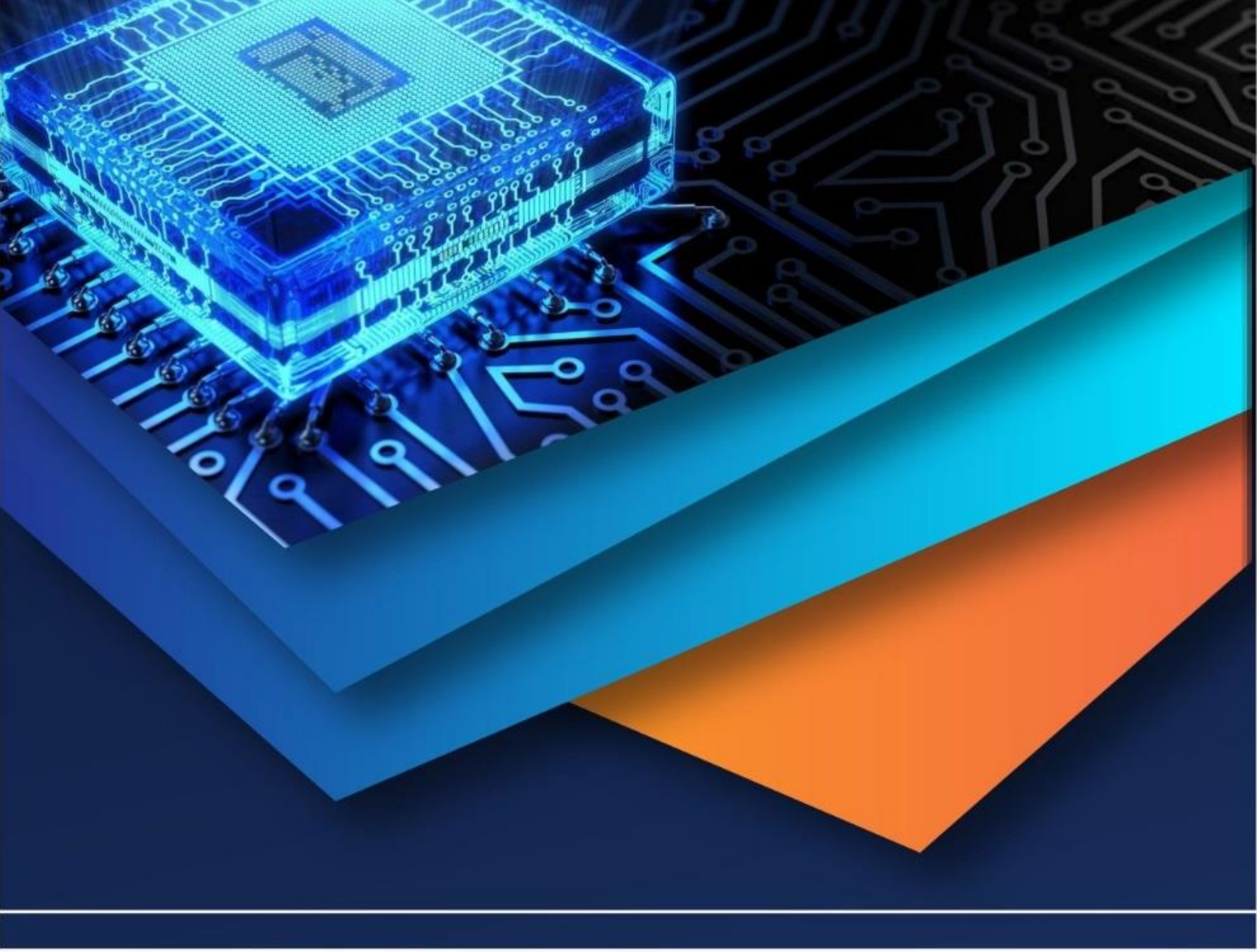
VI. निष्कर्ष

जनजातियों में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। देखा गया है कि किसी भी योजना व परियोजना को शुरू करने के लिए हर तरह से जनजातियों को प्रभावित करता हैं। जनजातियों की सबसे ज्यादा जरूरी उनका मूलस्थान हैं, इस आधार पर ही उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता हैं। अगर उनके मूलस्थान को छेड़ा जाता हैं तो हम उनको अस्तित्व को ही नष्ट कर रहे हैं। हमें प्रगति के उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो उनकी संस्कृति, बोली, खान-पान ,रहन-सहनऔर उनके स्थान को छेड़छाड़ किये बिना हम उनकी प्रगति कर सकें। इसके पश्चात जनजातियों के जितने भी संरक्षण एवं विकासात्मक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। वनाधिकार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण, पेसा अधिनियमऔर अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अधिक कठोरतम तरीके से करने की आवश्यकता है। तभी हम जनजातियों को कानूनी एवं विकासात्मक संरक्षण प्रदान कर पायेंगे।

संदर्भ सूची

[1] जैन मीना "प्रमुख समाजशास्त्रीय विचार" (2020) मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी आर. एन. टी. मार्ग भोपाल-462003
[2] धर्मेन्द्र (2020) "भारिया देवलोक" आदिवासी लोक कला एवं बोली अकादेमी, जनजातीय संग्रहालय, भोपाल-462003, मध्यप्रदेश
[3] 3https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/sagar/sagar-news-people-of-tribal-dominated-khanpur-village-will-have-to-vacate-their-houses-in-three-months-2024-04-03
[4] https://www.etvbharat.com/hi/!state/government-should-consider-displacement-of-tribals-from-tiger-reserves-says-padmashree-jageshwar-yadav-chhattisgarh-news-cts24100804143
[5] https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:838fc314-aa8d-4553-b6e6-d721245bd81f
[6] https://caravanmagazine.in/environment/vulnerable-forest-tribe-wildlife-conservation-hindi

©IJRASET: All Rights are Reserved | SJ Impact Factor 7.538 | ISRA Journal Impact Factor 7.894 |



10.22214/IJRASET

45.98

IMPACT FACTOR: 7.129

IMPACT FACTOR: 7.429

INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH

IN APPLIED SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY

Call : 08813907089 (24*7 Support on Whatsapp)